चीनी का वितरण

2546. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी की वितरण व्यवस्था में परिवर्तन करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या उपभोक्ताओं को 500 ग्राम के पैकटों में चीनी उपलब्ध कराने की कोई मांग है ; और

(ग) सरकार उस पर क्या निर्णय करने का विचार रखती है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कं० पा० सिंह देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार को पैकेटों में चीनी की सप्लाई करने की कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है । तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव दिया है कि वे प्रायोगिक आधार पर दस लाख तथा उससे अधिक आबादी वाले शहरों और साथ ही राज्य मुख्यालयों, चाहे उनकी आबादी दस लाख से कम ही क्यों न हो, के उपभोक्ताओं को उनकी इच्छा पर गेहूं, चावल तथा लेवी चीनी, पहले पैक किए गए पैकेटों में सप्लाई करने का प्रयास करें ।

देश में जल संसाधनों का जायजा

2547. **श्री मीर्जा इर्शादबेग** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाशिंगटन, अमरीका के "वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट" द्वारा दी गई रिपोर्ट के बारे में जांच की है जिसमें यह कहा गया है कि आगामी बीस वर्षों में जल की अत्यन्त कमी होगी और भूतल के जल संसाधन समाप्त हो जायेंगे ;

(ख) क्या भारत के जल संसाधनों की क्षमता तथा आगामी वर्षों में देश की जल आवश्यकता का पता लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस जायजे का क्या परिणाम निकला है और इस संबंध में आगामी वर्षों के दौरान सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) सरकार ने "वर्ल्ड वाच इन्स्टीट्यूट के प्रकाशन में टिप्पणियां नोट की हैं और देश में जल संसाधनों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं ।

(ख) और (ग) देश में कुल जल संसाधन 238 मिलियन हैक्टेयर मीटर आंके गये है जिसमें से अनुमान है कि लगभग 131 मिलिन हैक्टेयर मीटर का चरम अवस्था में उपयोग किया जा सकता है । सभी जरुरतों के जल का उपयोग 1985 में 54 मिलियन हैक्टेयर मीटर, 2000 ए० डी० में 75 हैक्टेयर मीटर और 2025 ए० डी० में 105 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है । जल संसाधनों का कारगर उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई के लिए जल का किफायती प्रयोग, भू जल का कृत्रिम रिचार्ज, जल की किस्म की मानीटरी तथा जल का अन्तर-बेसिन स्थानान्तरण जैसे उपायों की परिकल्पना की गई है ।

तटवर्ती भूमि का खारापन

2548. **श्री मीर्जा इर्शादबेग**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तटवर्ती भूमि के खारेपन (Salinity) की सीमा का पता लगाने का क्या तरीका है और प्रत्येक वर्ष यह किस सीमा तक फैल रहा है,

(ख) इसके विस्तार को रोकने हेतु क्या उपचारी उपाय किये गये है और उनसे अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इस संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या कदम उठाए जाने का विचार है और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र के लिए वर्षानुवर्ष आधार पर व्यापक सर्वेक्षण के अभाव में, तटवर्ती भूमि के खारेपन की सही सीमा और प्रत्येक वर्ष यह किस सीमा तक फैला रहा है, इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय कृषि आयोग तथा पिछड़ा क्षेत्र विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति के अनुमानों सहित विभिन्न अनुमानों से पता चलता है कि आठ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी सहित मिश्रित खारेपन की समस्या मौजूद है । इस प्रकार की समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मृदा संरचना, मृदा प्रतिक्रिया, बिजली चालकता वर्षा के साथ साथ प्रभावी लवण भूमि जल के स्तरों विविधता, नदी प्रवाह तथा ज्वार भाटा आदि ऐसे मानदण्डों पर विचार किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) तटवर्ती भूमि के खारेपन की समस्याएं विभिन्न भागों में अलग-अलग होती है । तथापि, पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति ने इस प्रकार के समस्या वाले क्षेत्रों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया है । इन क्षेत्रों में प्रत्येक के लिए पैकेज की प्रौद्योगिकी में ये शामिल हैं –समुद्री जल प्लावन से बांध बनाकर रक्षा करना, ताजे पानी से लवणों को साफ करना, अल्पकालीन धान तथा रबी की फसलें शुरू करके सस्य पद्धति में सुधार करना, खारे पानी में मछली पालन शुरू करना, धान के साथ झींगा मछली पालना, मिट्टी के घुलकर बहने से रोकने के लिए संशोधित प्रयोग, भूमिगत जल का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना, ताजे जल का अत्यधिक प्रयोग, नारियल, अमरूद, आदि जैसे फलदार वृक्ष तथा कैसुवाइना आदि जैसी वन प्रजातियां उगाना ।

अब तक सीमित प्रयास किए गए है और विभिन्न स्थल परिस्थितियों के अनुकूल पैकेज की अधिक उपयुक्त पद्धतियां भी विकसित की जा रही हैं । लवणीय भूमि का सुधार तथा उपयोग संबंधी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है । समस्या वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा वर्गीकरण और एक समेकित तरीके से पुनःस्थापन तथा विकास संबंधी कार्यक्रम शुरू करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना तैयार की गई है । यदि संसाधनों की स्थिति अनुकूल रही तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

Development of Rohini

2549. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of dwelling units in Rohini in Delhi;

(b) whether the Delhi Development Authority in coordination with other concerned authorities have formulated a comprehensive plan for the development of Rohini and other adjoining areas;

(c) if so, what are the details thereof; and

(d) by when Rohini is likely to be fully developed?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) Rohini Project has a provision for 1,70,000 dwelling units.

(b) Yes, Sir.

(c) All the services network such as water supply, sewerage, electricity and drainage were worked out in consultation with M.C.D., D.E.S.U. and Flood Department of Delhi Administration. Its urban form has been got cleared from DUAC.

(d) In about 3 years after all the schemes are finally approved.